मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ–28/4/11/यो/19 2618 भोपाल दिनांक 5-5-12

प्रति,

प्रमुख अभि.यंता,
लोक निर्माण बिभाग,
भोपाल।

विषयः निर्माण कार्यो के नियोजन हेतु सुपरविजन एवं क्वालिटी कन्ट्रोल कन्सलटेन्टस (SQC) पर किये जाने वाले व्यय के संबंध में।

संदर्भः आपकी टीप कमांक 301/070/2011/1021 दिनांक 16.04.2012

–0–

राज्य शासन एतद् द्वारा लोक निर्माण विभाग में सुपरविजन एवं क्वालिटी कन्ट्रोल कन्सलटेन्टस (SQC) को अनुबंधित करने के प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत सैद्धांतिक सहमति प्रदान करता हैः–

1/ रूपये 10.00 करोड़ (रूपये दस करोड़) से अधिक लागत के सड़क तथा पुल के नवीन कार्यो में यह व्यवस्था ''पायंलट बेसिस'' पर रखी जाए।

2/ सुपरविजन एवं क्वालिटी कन्ट्रोल कन्सलटेन्टस (SQC) को अनुमोदित करने के लिये खुली (Open) निविदा पद्धति अपनाई जाये।

3/ कार्यो के प्राक्कलन में इस हेतु लागत राशि के अधिकतम 2% (दो प्रतिशत) राशि की सीमा में प्रावधान रखा जाये।

सहपत्रः– शून्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

5-5-12
(आर0 के0 मेहरा)
अपर सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक

पृ.क्रमांक /3099/यो/19/12

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के यू0ओ0 कमांक 261/70/2/बी–9/चार दिनांक 02.05.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।

2– निज सचिव, मान0 मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग भोपाल।

सहपत्रः– शून्य

अपर सचिव
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

Desktop/Addl Secy/Order 38